

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/61/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : सितम्बर 2026

जांच शुरुआत अधिसूचना
सेतु मामला आईडी - एडी/ओआई/062/2026

विषय: रूसी परिसंघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पेंटाएरिथ्रिटोल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

क. पृष्ठभूमि

1. मैसर्स कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा मैसर्स पस्टोर्प इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से, समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें रूसी परिसंघ (जिसे इसके बाद "रूस" अथवा "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पेंटाएरिथ्रिटोल" (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के कथित पाटन के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।
2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध वस्तु का भारत में पाटित कीमतों पर आयात किया जा रहा है और ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को भारी क्षति

हुई है। तदनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

ख. पूर्ववर्ती जांच

3. प्राधिकारी ने पूर्व में चीन जनवादी गणराज्य, सऊदी अरब और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेंटाएरिथ्रिटोल के आयातों से संबंधित एक पाटनरोधी जांच अधिसूचना फा. सं. 06/04/2023-डीजीटीआर दिनांक 12.05.2023 के अंतर्गत शुरू की थी। प्राधिकारी ने उक्त जांच में अपने अंतिम जांच-परिणाम दिनांक 20.02.2024 को जारी किए थे, तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 08/2024-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 16.05.2024 के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। रूस से संबद्ध वस्तु के आयातों पर वर्तमान में कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

4. विचाराधीन उत्पाद "पेंटाएरिथ्रिटोल" है, जिसमें डाइ-पेंटाएरिथ्रिटोल शामिल नहीं है। पेंटाएरिथ्रिटोल एक कार्बनिक यौगिक है। "एरिथ्रिटोल" शब्द चार हाइड्रॉक्सिल समूहों की उपस्थिति को दर्शाता है, तथा "पेंटा" उपसर्ग इंगित करता है कि अणु में पांच कार्बन परमाणु हैं। डाइ-पेंटाएरिथ्रिटोल विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।
5. पेंटाएरिथ्रिटोल का उत्पादन इलेक्ट्रोडायलिसिस पृथक्करण तकनीक अथवा प्रभाजी क्रिस्टलीकरण तकनीक का उपयोग करके किया जा सकता है, और आवेदकों ने कहा है कि इन दोनों तकनीकों के माध्यम से उत्पादित उत्पाद के गुणों में कोई अंतर नहीं है। पेंटाएरिथ्रिटोल का उत्पादन टेक्निकल ग्रेड तथा नाइट्रेशन ग्रेड में किया जाता है। दोनों ग्रेडों के बीच मुख्य अंतर शुद्धता, क्रिस्टल के आकार और क्रिस्टल की एकरूपता में है, और दोनों ग्रेड एक ही प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किए जाते हैं। नाइट्रेशन ग्रेड पेंटाएरिथ्रिटोल, जिसमें उच्च शुद्धता और बेहतर क्रिस्टल संरचना होती है, का उपयोग विस्फोटक उद्योग में किया जाता है तथा इसका उपयोग एल्किड रेजिन और अन्य ऐसे उत्पादों के निर्माण में भी किया जा सकता है जिनमें टेक्निकल ग्रेड पेंटाएरिथ्रिटोल का उपयोग होता है। उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मुख्यतः टेक्निकल ग्रेड पेंटाएरिथ्रिटोल का ही उत्पादन होता है, और आयात भी मुख्य रूप से टेक्निकल ग्रेड के होने की बात कही गई है।

6. विचाराधीन उत्पाद का मुख्य उपयोग एल्किड रेजिन, एस्टर और अन्य व्युत्पन्नों के निर्माण में किया जाता है। इन व्युत्पन्नों का उपयोग पेंट, वार्निश और अन्य सतह कोटिंग उद्योगों में सुखाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है, तथा विभिन्न उद्योगों में स्नेहक के रूप में भी किया जाता है।
7. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमा शुल्क उप-शीर्ष 2905.42 के अंतर्गत HSN Code 29085.42.90 में वर्गीकृत किया गया है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान जांच के लिए विचार की गई माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है।
8. आवेदकों ने वर्तमान स्तर पर किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उसके औचित्य के साथ यदि कोई पीसीएन हो, तो उसका प्रस्ताव कर सकते हैं।

घ. समान वस्तु

9. आवेदकों ने उल्लेख किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा विनिर्मित वस्तु का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु को प्रथम दृष्टया एक-दूसरे के लिए 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"घरेलू उद्योग" से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी कार्यकलाप में लगे संपूर्ण घरेलू उत्पादक या वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा होता है, सिवाय उन मामलों के जहां ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या वे स्वयं उसके आयातक हों, ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"

11. यह आवेदन मैसर्स कनोडिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स पस्टोर्प इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में मैसर्स एशियन पेंट्स लिमिटेड संबद्ध वस्तु का एकमात्र अन्य उत्पादक है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि एशियन पेंट्स लिमिटेड का उत्पादन मुख्य रूप से उसके आबद्ध उपभोग के लिए है तथा उक्त उत्पादक संबद्ध वस्तु को आयातों के माध्यम से और आवेदकों से भी प्राप्त करता है। एशियन पेंट्स लिमिटेड ने इस आवेदन का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध किया है। एशियन पेंट्स लिमिटेड के उत्पादन को छोड़कर, आवेदक समान वस्तु के भारतीय उत्पादन के 100% का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यदि एशियन पेंट्स लिमिटेड की उत्पादन को उसका उत्पादन मान लिया जाए, तब भी वे भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
12. आवेदकों ने बताया है कि वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक या निर्यातक से संबंधित नहीं हैं, वे संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं हैं, और उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।
13. उपरोक्त के मद्देनजर, रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत

घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश रूसी परिसंघ है।

छ. जांच की अवधि (पीओआई)

15. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) तक है। क्षति जांच अवधि में 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि शामिल है।

ज. कथित पाटन का आधार

(क) रूस के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि रूस के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमतों तथा रूस से तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु के निर्यात की कीमतों के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन इस संबंध में कोई सत्यापन योग्य जानकारी उपलब्ध नहीं थी। तदनुसार, आवेदकों ने उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए यथोचित समायोजन करने के साथ-साथ उचित लाभ मार्जिन जोड़कर सामान्य मूल्य का दावा किया है।
17. वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु रिकॉर्ड पर सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर परिकलित सामान्य मूल्य पर विचार किया है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा जांचे गए अनुसार एक उचित लाभ मार्जिन को विधिवत समायोजित किया गया है।

(ख) निर्यात कीमत

18. जांच शुरुआत के लिए, संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम्स द्वारा अनुरक्षित आयात आंकड़ों में सूचित संबद्ध वस्तु के सीआईएफ मूल्य पर

विचार करके निर्धारित किया गया है। निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए जहां कहीं दावा किया गया और आवश्यक समझा गया, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन संभलाई शुल्क और ऋण लागत के कारण उपयुक्त समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत को वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ उपयुक्त माना गया है।

(ग) पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और महत्वपूर्ण है। अतः, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

20. आवेदकों ने नियमावली के अंतर्गत निर्धारित घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' से संबंधित विभिन्न मापदंडों पर जानकारी प्रस्तुत की है। आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग को हुई उस क्षति को दर्शाते हैं जो संबद्ध देश से कथित पाटित आयातों के कारण हुई है।
21. संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और साथ ही भारत में खपत और उत्पादन के संबंध में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथा आधार वर्ष की तुलना में मांग में संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। संबद्ध देश से कीमत कटौती क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक बनी हुई है। संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, और घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु को अपनी बिक्री लागत से कम मूल्य पर बेच रहा है। आवेदकों ने दावा किया है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी पूरी लागत वसूलने और उचित आय अर्जित करने हेतु अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका है। यद्यपि नई क्षमता शुरू होने के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि के दौरान वित्तीय हानि, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय का सामना करना पड़ा है, और इसकी मालसूची में वृद्धि हुई है।

22. संबद्ध देश से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही काफी अधिक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, जो पाटनरोधी जांच शुरू करने के औचित्य को सिद्ध करते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

23. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के उपरांत, तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

ट. प्रक्रिया

24. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में निहित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

25. इस जांच के लिए सभी सूचनाएं, प्रश्नावली और अनुरोध इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्राधिकारी ईमेल अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजे गए अनुरोधों पर विचार नहीं करेंगे।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल <https://setu.dgtr.gov.in> पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण में किसी भी कठिनाई के मामले में, डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क से

<https://setu.dgtr.gov.in/help-desk> पर दिए गए विवरण के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी पत्राचार और अनुरोध सेतु पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकृत नाम और ऊपर उल्लिखित संबंधित मामला आईडी के अंतर्गत दायर किए जाने चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुरोधों का विवरणात्मक भाग पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो तथा आंकड़ों की फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में खोजे जाने योग्य हों और गणनाओं में तालमेल हो।

27. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और ढंग से सभी संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
28. जांच में शामिल हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर वर्तमान जांच में अपने हित की प्रकृति सहित अपने हित की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।
29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और ढंग से वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध दे सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार उसके साथ उसका एक अगोपनीय संस्करण भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की ही प्रतिलिपि होना चाहिए।
30. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.dgtr.gov.in/> तथा सेतु पोर्टल <https://setu.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखने का निर्देश दिया जाता है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक

सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं, अंतिम जांच परिणामों और ऐसी अन्य सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं से अवगत रहें।

ड. समय-सीमा

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल <https://www.dgtr.gov.in/> पर उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- एडी/ओआई/062/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। गोपनीय संस्करण (सीवी) और अगोपनीय संस्करण (एनसीवी) सेतु पोर्टल के संबंधित निर्दिष्ट अनुभागों में उस तारीख से 37 दिनों के भीतर अपलोड किए जाने चाहिए, जिस तारीख को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय संस्करण प्राधिकारी द्वारा सेतु पोर्टल पर परिचालित किया जाएगा अथवा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी होती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
32. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराने का इच्छुक कोई भी पक्षकार सेतु पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराएगा और अपने प्रश्नावली उत्तर तथा अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर ही सख्ती से दायर करेगा।
33. विचाराधीन उत्पाद के दायरे/पीसीएन पद्धति संबंधी टिप्पणियां दर्ज करने की 15 दिनों की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
34. समय-सीमा में 15 दिनों का समय विस्तार तब दिया जाएगा यदि प्राधिकारी, किसी उत्तरवर्ती नोटिस के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को इस प्रकार संशोधित करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है। यह 15 दिनों का समय विस्तार संशोधित पीयूसी की ऐसी अधिसूचना और पीसीएन के निर्धारण की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई

बदलाव नहीं हुआ है। नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, 15 दिनों के विस्तार से अधिक के समय विस्तार के अनुरोधों पर, यदि किए हैं, जाते हैं, तो असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

35. यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7 के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
36. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध उनमें संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित करने वाले पक्षकारों को सेतु पोर्टल के निर्दिष्ट खंडों में ऐसे गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
37. प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध करने वाले पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि:
 - i. दो अलग-अलग संस्करण अपलोड किए जाएं; एक गोपनीय के रूप में चिह्नित और दूसरा अगोपनीय के रूप में चिह्नित हो;
 - ii. जहां अनुरोध में कई भाग या अनुलग्नक शामिल हों, वहां ऐसे सभी भागों और अनुलग्नकों को सूचीबद्ध करने वाली एक तालिका प्रदान की जाए; तथा
 - iii. अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ पर उचित रूप से पृष्ठ संख्या अंकित हो।
38. जहां मूल दस्तावेज़ अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में हो, वहां हितबद्ध पक्षकार मूल दस्तावेज़ के साथ उसका अंग्रेजी या हिंदी में सही अनुवाद प्रस्तुत करेगा।
39. गोपनीय तथा अगोपनीय अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

40. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
41. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना, जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो, के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।
42. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
43. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
44. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन

को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखी कर सकते हैं।

45. नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
46. जहां प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता का अनुरोध न्यायोचित है, वहां वह ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

47. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

त. असहयोग

48. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 25-09-2026
18:48:52

अमिताभ कुमार
निर्दिष्ट प्राधिकारी